यूपीआई भुगतान पर नहीं लगेगा ग्राहकों से शुल्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अफवाहों को किया खारिज

एमडीआर केवल व्यापारियों से जुड़ा

आम ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त बोझ

नई दिल्ली, 07 अगस्त यूपीआई से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की चर्चाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है.

उन्होंने कहा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) अंतिम उपयोगकर्ताओं यानी ग्राहकों पर लागू नहीं होता है. वित्त मंत्री ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश की ओर से यूपीआई शुल्क को लेकर लगाए गए आरोपों को अफवाह बताते हुए कहा कि इस मुद्दे को सही संदर्भ में समझने की जरूरत है. सीतारमण ने कहा कि एमडीआर का संबंध व्यापारियों से है और इसे आम यूपीआई ग्राहकों से जोड़ना सही नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य यूपीआई से भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना नहीं है. ऐसे में मोबाइल से दुकानदार को भुगतान करने, ऑनलाइन खरीदारी करने या किसी सेवा के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को एमडीआर के नाम पर अलग से शुल्क देने की बात नहीं है.वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि डिजिटल भुगतान व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बैंकों और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को लगातार निवेश करना पड़ता है. इसमें भुगतान का बुनियादी ढांचा तैयार करना, नई तकनीक विकसित करना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना शामिल है.

> कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कराधान एवं अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026 को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे. उन्होंने दावा किया था कि प्रस्तावित संशोधन से यूपीआई लेनदेन को शुल्क-मुक्त रखने वाली व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और भविष्य में डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लगाने का रास्ता खुल सकता है. जयराम रमेश ने सरकार के इस तर्क पर भी सवाल उठाया कि यूपीआई व्यवस्था को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए एमडीआर की आवश्यकता हो सकती है.

गर्मी उत्पादों के 40 विज्ञापनों में कमियां

मुंबई. एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) ने अप्रैल और जून के बीच गर्मियों के मौसम पर केंद्रित पर्सनल केयर, कूलिंग अप्लायंसेस, एयर प्यूरीफायर, सनस्क्रीन, वियरेबल्स और ट्रैवल से जुड़े उत्पादों सहित अलग-अलग कैटेगरी के 40 विज्ञापनों की जांच की जिनमें से 39 को आदर्श मानकों की दृष्टि ये कमियां पायी गयीं और संस्था ने इनमें बदलाव की जरूरत पर बल दिया है. इनमें केवल एक विज्ञापन ही अपने दावों को सही साबित कर सका. एएससीआई के अनुसार उपरोक्त 39 में से 21 विज्ञापनों को बिना किसी आपत्ति के संशोधित किया गया या वापस ले लिया गया, जबकि 18 विज्ञापनों को एएससीआई की सीसीसी ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पाया.

एलआईसी का मुनाफा 23% से बढ़कर 13,492 करोड़ पहुंचा

प्रीमियम कलेक्शन में बढ़ोतरी से कारोबार मजबूत

नई दिल्ली, 7 अगस्त भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया है. अप्रैल से जून के बीच कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 13,492 करोड़ पहुंच गया.

पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में एलआईसी को 10,987 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ था. मुनाफे में इस मजबूत बढ़ोतरी के पीछे कंपनी की कुल आय के साथ-साथ प्रीमियम कलेक्शन में दर्ज हुई वृद्धि को अहम वजह माना जा रहा है. एलआईसी की ओर से जारी नियामकीय जानकारी के मुताबिक, जून तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 2,37,848 करोड़ हो गई, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह 2,22,864 करोड़ थी. यानी कंपनी की कुल आय में भी सालाना आधार पर अच्छी वृद्धि दर्ज की गई. इससे संकेत मिलता है कि बीमा कारोबार में कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है.

पहली बार के प्रीमियम से बढ़ी कमाई कंपनी के कारोबार में नए बीमा कारोबार से मिलने वाली आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई. जून तिमाही में पहली बार मिलने वाले प्रीमियम से एलआईसी की आय बढ़कर 9,217 करोड़ हो गई. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह आंकड़ा 7,525 करोड़ था. यानी नए कारोबार से मिलने वाले प्रीमियम में करीब 1,692 करोड़ की बढ़ोतरी हुई.

इसके अलावा रिन्यूअल प्रीमियम यानी पहले से चल रही बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण से मिलने वाली आय में भी वृद्धि हुई. यह आय 59,885 करोड़ से बढ़कर 61,833 करोड़ पहुंच गई. इससे पता चलता है कि कंपनी के मौजूदा पॉलिसीधारकों से मिलने वाला प्रीमियम भी लगातार मजबूत बना हुआ है.

अब अगर ईएमआई नहीं चुकाई तो आपका मोबाइल होगा लॉक

मुंबई, 7 अगस्त बैंक से फाइनेंस पर फोन लेकर कर्ज नहीं चुकाने वालों का फोन अब बैंक लॉक कर सकेंगे. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं जो 01 जनवरी 2027 से लागू होंगे.

केंद्रीय बैंक ने आज बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा वित्तीय सेवा देने वाली अन्य विनियमित इकाइयों के लिए आज ऋण वसूली के संबंध में नियमों में संशोधन जारी किये. इसमें मोबाइल फोन के अलावा टैबलेट और लैपटॉप को भी शामिल किया गया है. इनमें कहा गया है कि कोई भी बैंक, एनबीएफसी या ऋण देने वाली अन्य विनियमित इकाइयां स्वयं या किसी तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता के माध्यम से ऐसी प्रौद्योगिकी-आधारित व्यवस्था का उपयोग तभी कर सकेगी जब उधारकर्ता ने इन उपकरणों की खरीद के लिए उनसे ऋण लिया है.

आरबीआई ने कहा है कि तय तिथि के 30 दिन बाद तक समान मासिक किस्त (ईएमआई) की अदायगी न होने पर ही बैंक मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप के फीचर क्रमिक तरीके से निष्क्रिय करने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं. साथ ही, आउटगोइंग कॉल की सुविधा ऋण अदायगी में चूक के 60 दिन के बाद ही बंद की जा सकेगी.

एसबीआई को पहली तिमाही में 21,121 करोड़ का रिकॉर्ड

मुंबई, 7 अगस्त भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 21,121 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया जो सालाना आधार पर 10.23 प्रतिशत का उछाल है.

तिमाही के दौरान ब्याज से प्राप्त बैंक की शुद्ध आय 14.88 प्रतिशत बढ़कर 46,992 करोड़ रुपये और परिचालन लाभ 9.77 फीसदी बढ़कर 33,529 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. बैंक ने तिमाही के दौरान कुल 110 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया. उसके पास ग्राहकों की जमा राशि 60 लाख करोड़ रुपये और ग्राहकों को दिया गया कर्ज 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा. ऋण उठाव 18.63 प्रतिशत और जमा 9.73 प्रतिशत बढ़ा. तिमाही के दौरान बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है.

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) का अनुपात एक साल पहले की तुल 36 आधार अंक कम होकर 1.47 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए नौ आधार अंक घटकर 0.38 प्रतिशत रह गया. हम आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग कर उधारकर्ताओं के खातों में वित्तीय तनाव के शुरुआती संकेतों की पहचान कर रहे हैं.

> बैंक के तिमाही प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी ने कहा, 'एसबीआई में हमारी रणनीतिक दिशा एक सरल दर्शन से निरंतर प्रेरित रही है - डिजिटल फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट और नेशन ऑलवेज. प्रौद्योगिकी हमारे जोखिम प्रबंधन ढांचे को भी और अधिक सशक्त बना रही है.

ईवी बिक्री में 66 प्रतिशत की वृद्धि

नई दिल्ली, 7 अगस्त. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 66 प्रतिशत बढ़कर 3,27,901 इकाई पर पहुंच गयी.

कारोबार शुरू करने के लिए देगी ऋण भारत सरकार

नई दिल्ली. अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी की कमी आड़े आ रही है, तो केंद्र सरकार की कई योजनाएं आपके लिए मददगार साबित हो सकती हैं. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसी योजनाओं के माध्यम से पात्र आवेदकों को व्यवसाय शुरू करने या उसे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मिल सकती है. नियमों के अनुसार ऋण की राशि, ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि और अन्य शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं. योजना के तहत छोटे कारोबारियों और उद्यमियों को विभिन्न श्रेणियों में ऋण उपलब्ध कराया जाता है.

एमएसएमई-स्टार्टअप सहयोग पर बनी आपसी सहमति

जयपुर. भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत जयपुर में आयोजित 10वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक गुरुवार को संपन्न हो गई. बैठक में सदस्य देशों ने औद्योगिक विकास, नवाचार, हरित तकनीक, डिजिटल परिवर्तन और मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पार्टनरशिप ऑन न्यू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के तहत ब्रिक्स देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देना रहा.'सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण' विषय पर आयोजित बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के उद्योग मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि जयपुर भारत

एआई स्मार्टफोन का 100 करोड़ निवेश

भोपाल. भारतीय स्मार्ट फोन बाजार में एक नई पहल करते हुए, एआई+ स्मार्टफोन ने प्रोजेक्ट ट्रस्ट लॉन्च किया है. इस पहल का उद्देश्य टेक कम्युनिटी के साथ मिलकर देश का सबसे सुरक्षित स्मार्टफोन इकोसिस्टम तैयार करना है. इसके लिए कंपनी अगले पाँच सालों तक हर साल 20 करोड़ रुपए यानि कुल 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस पहल के जरिए टेक एक्सपर्ट्स, डेवलपर्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स को स्मार्टफोन की सिक्योरिटी और यूजर्स का भरोसा मजबूत करने के लिए साथ आने का मौका मिलेगा.इस पहल के तहत कंपनी स्वतंत्र सिक्योरिटी रिसर्चर्स को अपने सिस्टम की जाँच करने, उसकी सिक्योरिटी को परखने और ऐसी कमियों की पहचान करने के लिए आमंत्रित कर रही है, जिन्हें समय रहते ठीक किया जा सके, ताकि उनका असर ग्राहकों तक पहुँचने से पहले ही रोका जा सके. प्रोजेक्ट ट्रस्ट+ इस सोच पर आधारित है कि सिक्योरिटी कोई एक बार पूरा होने वाला काम नहीं, बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है.

सेंसेक्स 456 अंक टूटा निफ्टी भी फिसला

नई दिल्ली. घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को दबाव देखने को मिला और कारोबार के अंत में दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 455.59 अंक टूटकर 78,499.17 अंक पर बंद हुआ. वहीं, निफ्टी-50 सूचकांक भी 65.35 अंक की गिरावट के साथ 24,570.65 अंक पर आ गया. सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बिकवाली का दबाव बना रहा, जिससे निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई. शुरुआती कारोबार में बाजार की चाल को लेकर निवेशकों में उत्साह देखने को मिला, लेकिन कारोबार आगे बढ़ने के साथ बिकवाली हावी होती गई. खासकर प्रमुख शेयरों में दबाव बढ़ने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने ऊपरी स्तरों से नीचे आ गए. बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया और कई क्षेत्रों के शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो चुका है) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित सिक्योरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 21.01.2026 को उधारकर्ता, सह-उधारकताओं एवं गारंटरों: 1. दीपक कुमार 2. रामभरोसे दीपक को एक मांग सूचना जारी की थी, जिसमें उन्हें उक्त मांग सूचना प्राप्त होने की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर दिनांक 14.01.2026 तक बकाया रू. 9,88,705.29/- (नौ लाख अट्ठासी हजार सात सौ पाँच और उनतीस पैसे मात्र) का भुगतान करने हेतु कहा गया था।

चूँकि उधारकताओं द्वारा उक्त बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया, अतः उधारकर्ता एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (4) तथा उसके साथ पठित सिक्योरिटी इंटरेस्ट (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा दिनांक 05 अगस्त, 2026 को अपने अधिकार में ले लिया है।

उधारकताओं एवं आम जनता को विशेष रूप से सावधान किया जाता है कि वे उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें। यदि कोई व्यक्ति उक्त संपत्ति के संबंध में कोई लेन-देन करता है, तो वह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जिसका आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो चुका है) के पक्ष में रू. 9,88,705.29/- (नौ लाख अट्ठासी हजार सात सौ पाँच और उनतीस पैसे मात्र) तथा उस पर देय ब्याज के प्रभार के अधीन रहेगा।

उधारकताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसके अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन हेतु उपलब्ध समय का प्रावधान किया गया है।

अचल संपतियों का विवरण।

वह पूरी प्रॉपर्टी जिसका हाउस नंबर 109 है, जिसमें कुल RCC बिल्ट-अप एरिया 828 वर्ग फीट (76.95 वर्ग मीटर) और प्रॉपर्टी का कुल ग्राउंड फ्लोर एरिया 2024 वर्ग फीट (188.10 वर्ग मीटर) है; सर्वे नंबर 86, वार्ड नंबर 2, गाँव हिरणखेड़ी, पीएच नंबर 74, ग्राम पंचायत तारेनी, तहसील नरसिंहगढ़, ज़िला राजगढ़, मध्य प्रदेश; और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व: राजू का घर, उत्तर: प्रताप सिंह का घर, पश्चिम: रास्ता, दक्षिण: कमल सिंह का घर।

दिनांक: 05.08.2026
स्थान: मध्यप्रदेश
ऋण खाता संख्या: 151023969

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड और आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	72946606 & 128319919	संपत्ति के बदले ऋण	22-07-2026	6,89,342.24/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. उमराव गिर 2. रामरेखा बाई

संपत्ति का पता: अचल संपत्ति (आवासीय घर) का पूरा हिस्सा और भूखंड, जिसका क्षेत्रफल 3016 वर्ग फुट (280.297 वर्ग मीटर) है और जो घर नंबर 25 में स्थित है। यह संपत्ति मध्य प्रदेश-465677 राज्य के जिला राजगढ़, तहसील सुठालिया, गांव सालेहपुर (पीएच नंबर 31) में स्थित है। इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में हरि नारायण की खुली जमीन, पश्चिम में श्यामलाल की खुली जमीन, उत्तर में अपनी खुली सड़क, और दक्षिण में आम रास्ता।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	126856280	होम लोन	22-07-2026	7,85,115.88/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नाम: 1. जयपाल सिंह यादव 2. भूरिया यादव

संपत्ति का पता: घर नंबर 10 का पूरा हिस्सा और जमीन, कुल प्लॉट एरिया 9579 वर्ग फीट, ग्राउंड फ़्लोर का बिल्ट-अप एरिया 1500 वर्ग फीट; यह सर्वे नंबर 36/2, पीएच नंबर 29, गाँव: गोपालपुर, ग्राम पंचायत: गोपालपुर, तहसील और ज़िला: गुना में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं - पूर्व: सड़क, पश्चिम: गेलार सिंह की जमीन, उत्तर: अपनी जमीन, दक्षिण: गेलार सिंह की जमीन और घर।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है) इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांक : 08.08.2026
स्थान : मध्यप्रदेश
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

SBFC एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:- यूनिट नंबर 103, पहली मंजिल, सी एंड बी स्क्वायर, संगम कॉम्प्लेक्स, गांव चकाला, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400059।

कब्जा नोटिस (सुरक्षा हित के नियम 8(2) के अनुसार (प्रवर्तन) नियम, 2002)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लिखित उधारकताओं/सह-उधारकताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किए। उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए उधारकर्ता/सह-उधारकताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। निम्नलिखित तिथियों को। ऋणकर्ता/सह-ऋणकताओं को विशेष रूप से और आम जनता को इसके द्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकताओं का नाम और पता और मांग नोटिस की तिथि	संपत्ति का विवरण और कब्जे की तिथि	कब्जा नोटिस में मांगी गई राशि (रु.)
1. श्री हरिराम भायरे, 2. श्री किरण भायरे, 3. श्रीमान. लखन लाल भयारे, 4. श्रीमती सवित्री बाई पता : घर ख. नं. 286/2 286/3,287/1,287/2 के हिस्से में स्थित है ग्राम मसनगांव पीएच नं.19 RNM हरदा तहसील हरदा जिला। म.प्र. 461331. डिमांड नोटिस दिनांकः 22 अगस्त 2025, ऋण खाता क्र. '10241 (PR01454675) एवं 79327 (PR01575533)।	सर्वे नंबर 286/2, 286/3, 287/1, 287/2, गाँव मसनगांव, तहसील और ज़िला हरदा में स्थित प्लॉट का पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 7320 वर्ग फीट है और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व - सड़क, पश्चिम - सड़क, उत्तर - हरिराम का प्लॉट, दक्षिण - मोतीराम का घर **भौतिक कब्जे की तारीख: 06 अगस्त, 2026**	रू. 22,19,138/- (बाईस लाख उन्नीस हजार एक सौ अड़तीस मात्र) 21 अगस्त, 2025 तक, साथ ही 22 अगस्त, 2025 से बिना लागू किया गया ब्याज,

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि सुरक्षित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित हैं।

स्थानः हरदा/ (म.प्र.) 461331, दिनांकः 08.08.2026
एसडी/- अधिकृत अधिकारी, एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय नगर पालिका परिषद विदिशा

क्रमांक/4580 to 4587,4650 to 4652/लोक निर्माण शाखा/2026 — विदिशा, दिनांक 31/07/2026

:: ई-निविदा आमंत्रण सूचना ::

नगर पालिका परिषद विदिशा द्वारा निम्न कार्यों हेतु ई-निविदाओं का आमंत्रण किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र	निविदा क्र	ई-टेन्डर न.	कार्य का विवरण	निविदा विवरण	कार्य की अनुमानित लागत	अमानत राशि	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण की समयावधि	ई-निविदा क्रय अंतिम दिनांक
1	4580	2026_UAD_526901_1	Construction work of RCC Drain at ward no 12 Sindhi colony.	I Call	355280.00	3553.00	2000.00	03 Month	22/8/2026
2	4581	2026_UAD_526911_1	Construction work of C.C. Road at ward no 23 katiyar palace to chini hall and agrawal jweller to mohit road line vidisha	I Call	1691525.00	12686.00	2000.00	06 Month	8/9/2026
3	4582	2026_UAD_526919_1	Construction work of C.C. Road at ward no 09 Raipura guddu kushwah house to jeewan malviya and manish to shrivastava to ojas house and other streets vidisha	I Call	3659745.00	27448.00	5000.00	06 Month	8/9/2026
4	4583	2026_UAD_526929_1	Construction work of C.C. Road at ward no 32 subhas nagar santosh yadav house to ratan vishwakarma and various streets	I Call	1459360.00	10945.00	2000.00	06 Month	8/9/2026
5	4584	2026_UAD_526953_1	Construction work of RCC Drain at ward no 23 various streets vidisha	II Call	340279.00	3403.00	2000.00	03 Month	22/8/2026
6	4585	2026_UAD_526976_1	Construction work of C.C. Road at ward no 02 ayodhaa nagar khusi mehal to warehouse vidisha	I Call	2165020.00	16238.00	5000.00	06 Month	8/9/2026
7	4586	2026_UAD_527011_1	Construction work of C.C. Road at ward no 10 Raipura various streets	I Call	4580225.00	34352.00	5000.00	06 Month	8/9/2026
8	4587	2026_UAD_527018_1	Construction work of RCC Drain at ward no 37 Ekta nagar various streets vidisha	I Call	2576548.00	19324.00	5000.00	06 Month	8/9/2026
9	4650	2026_UAD_527042_1	Construction work of RCC Drain at ward no 22 kiri mohalla to hell mobile shop vidisha	II Call	638372.00	6384.00	2000.00	03 Month	22/8/2026
10	4651	2026_UAD_527051_1	Construction work of C.C. Road at ward no 07 sanskar garden to hariom sharma house vidisha	I Call	815150.00	8152.00	2000.00	03 Month	22/8/2026
11	4652	2026_UAD_527053_1	Construction work of RCC Drain at ward no 07 sanskar garder to hariom sharma house vidisha	I Call	1187736.00	8908.00	2000.00	06 Month	8/9/2026

नोट :- निविदा प्रपत्र क्रय, डाउनलोड करने एवं निविदा से संबंधित समस्त शर्तें एवं जानकारी https://www.mpetenders.gov.in से एवं नगर पालिका परिषद विदिशा की लोनिवि शाखा से प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद किसी भी प्रकार का संशोधन होने पर बेवसाइट पर या कार्यालय से जानकारी प्राप्त होगी। संशोधन का प्रकाशन समाचार पत्र में नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद,विदिशा